24/01/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय में एक-एक बार कई बार आवाज लगवाने पर भी अधिवक्ता वादी एवं वादी स्वयं उपस्थित नहीं हुए एवं पूर्व आदेशिका 27/01/2021 अनुसार प्रतिवादी संख्या 11 के कायम मुकाम एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 एवं 13 की तलबी हेतु अन्तिम अवसर दिए जाने के उपरान्त भी आज तक वादी की ओर से प्रतिवादी 11 के कायम मुकाम हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं प्रतिवादी 1 से 10 एवं 13 की तलबी हेतु नोटीस भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रकरण अस्थायी तौर पर पैरवी से खारिज किया जाता है। [illegible] कोसल कुमार होकर [illegible]

2016/00828

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.15 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)